old reference

(4) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 1984.

(5) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989.

(6) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989.

2. इन नियमावलियों के तहत विनियमितीकरण हेतु पात्रता के संदर्भ में कतिपय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि यदि तदर्थ नियुक्ति के आदेश में दर्शाये गये किसी कनिष्ठ द्वारा किसी ऐसी तदर्थ तिथि तक कार्यभार ग्रहण कर लिया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप वह विनियमितीकरण का पात्र हो किन्तु उससे ज्येष्ठ व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विनियमितीकरण की पात्रता हेतु निर्धारित तिथि के उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया हो, तो क्या ऐसे ज्येष्ठ व्यक्ति विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।

3. इस विषय में शासन द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है। शासन को प्राप्त विधिक परामर्श के संगत उद्धरण संलग्न करते हुए अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कृपया संलग्न परामर्श के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,
नीरा यादव,
सचिव।

शासनादेश संख्या-13/19/90-कार्मिक-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 1990 का संलग्नक

विधिक परामर्श

विनियमितीकरण करने के लिए नियुक्ति होने के दिनांक को महत्व दिया गया और उस आधार पर दिनांक 1/10/1986 की तिथि इस प्रकार निर्धारित की गयी कि इस तिथि से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर विनियमितीकरण करने के लिए अर्ह माना जायेगा। विनियमितीकरण उपयुक्तता के आधार पर समिति द्वारा किया जाता है, केवल 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर विनियमितीकरण स्वमेव नहीं हो जाता है। अतः यह तिथि केवल पात्रता हेतु निर्धारित की गयी है। इसलिए नियुक्ति-पत्र की तिथि इस उद्देश्य के लिए माना जाना चाहिए। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इस उद्देश्य के लिए अप्रासांगिक है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि प्रत्येक मामले में विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न हो सकती है और वह परिस्थितियां कर्मचारियों के नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं। इसलिए कार्यभार-ग्रहण करने की तिथि को विनियमितीकरण की पात्रता के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में एक व्यक्ति की नियुक्ति का आदेश दिनांक 26-9-1986 को तथा दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति का आदेश दिनांक 30-9-1986 को पारित किया गया था। अर्थात् विनियमितीकरण की पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी थी। मेरे अभिमत से यह दोनों व्यक्ति संशोधित विनियमितीकरण नियमावली, 1988 हेतु विनियमितीकरण के पात्र हैं और उनके विनियमितीकरण पर विचार करना चाहिए।

86

संख्या–20/1/1991–का–2/91

प्रेषक,

श्री ओ० पी० आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव या सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई, 1991**

विषय :– भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर समसंख्यक टैलेक्स या रेडियोग्राम दिनांक 29 जून, 1991 एवं शासनादेश संख्या 1009/का-1-91, दिनांक 29 जून, 1991 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्पन्न की जाने वाली चयन प्रक्रिया या नियुक्ति को छोड़कर प्रत्येक श्रेणी के समस्त संवर्गीय तथा निःसंवर्गीय पदों पर सभी प्रकार के भर्ती या नियुक्ति विषयक प्रक्रिया यथास्थिति रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित मामले उक्त रोक से आच्छादित न होंगे—

(1) सेवा नियमावली के अधीन नियमित पदोन्नतियां।

(2) उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन नियुक्तियां।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति की अवशेष रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा उसके आधार पर नियुक्तियां।

(4) केवल अत्यन्त अल्पकालीन रिक्तियों (यथाअवकाश रिक्तियों आदि) में स्थानापन्न व्यवस्था।

(5) सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावलियों के तहत विनियमितीकरण।

(6) अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन व उनके आधार पर नियुक्तियां।

(7) चलचित्र निगम, गण्डक समादेश परियोजना, गोरखपुर तथा यू० पी० हार्टिको के छटनीशुदा कार्मिकों का समायोजन।

3. उपरोक्तानुसार प्रत्येक श्रेणी के राज्याधीन समस्त संवर्गीय/निःसंवर्गीय पदों पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती, तदर्थ पदोन्नति, संविदा, नियत वेतन, नियमित या नियत वेतन पर तदर्थ, दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति जिसमें पूर्व से चल रहे सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पुनः सेवा स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति की अवधि को

सम्मिलित करते हुए समस्त प्रकार के भर्ती या नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक यथावत् स्थगित रहेगी।

4. उपरोक्त आदेशों को तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

87

संख्या–20/1/91–कार्मिक–2/1991

प्रेषक,

श्री ओ० पी० आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 1991

विषय :– भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1991 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय श्रेणी के पदों के भर्ती या नियुक्ति को यथास्थिति स्थगित किये जाने संबंधी व्यवस्था पर शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया एवं प्रस्तर 2 एवं 3 में वर्णित शर्तों के तहत आंशिक रूप से शिथिल किया गया है।

2. विचारोपरान्त श्रेणी-3 व 4 के समस्त प्राविधिक या अप्राविधिक पदों पर विभागीय चयन समिति द्वारा नियमित सीधी भर्ती या नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगाया गया स्थगनादेश तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित शर्तों के अधीन-शिथिल किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(1) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-47/दस-सं० वि०-3(1)-90, दिनांक 9 मार्च, 1990 में आयोजनेत्तर पक्ष में समस्त श्रेणी के सीधी भर्ती के 5 प्रतिशत पद रिक्त रखे जायें परन्तु उक्त शर्त आरक्षित पदों पर लागू न होगी।

(2) आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत पदों के विरुद्ध न्यूनतम आवश्यक पदों पर ही चयन की कार्यवाही की जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि विभाग/अधिष्ठान में वर्तमान या निकट भविष्य में कर्मचारियों की अधिकता (Surplus) न हो रही हो। यदि ऐसा है तो तद्नुसार रिक्तियों में आनुपातिक कटौती कर दी जाये।

(4) इसके अतिरिक्त यह भी देख लिया जाये कि विभाग या अधिष्ठान पर छटनीशुदा कार्मिकों को लेने का दायित्व तो नहीं है। यदि ऐसा है तो तद्नुसार इसका भी प्राविधान कर लिया जाये।

(5) प्रश्नगत स्थगनादेश से आच्छादित चयन या भर्ती की समस्त कार्यवाहियां, जो उक्त आदेश लागू किये जाने के दिनांक तक पूर्ण कर ली गयी थीं, एतदर्थ निरस्त मानी जायें।

(6) उपरोक्तानुसार रिक्तियों को पुनार्निर्धारित करके, नये सिरे से चयन की कार्यवाही की जाये।

3. ऐसे समस्त चयन आयोग, जो शासन के किसी अधिनियम या नियम के अंतर्गत गठित किये गये हैं, पर 29 जून, 1991 को जारी स्थगनादेश की रोक अब प्रभावी नहीं रहेगी।

4. भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थगनादेश उक्त सीमा तक कृपया संशोधित समझे जायेंगे तथा इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओ० पी० आर्य,

सचिव।

88

संख्या–2/5/91–का–2/92

प्रेषक,

श्री ओ० पी० आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव या सचिव उ० प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष या प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 2 सितम्बर, 1992**

विषय :– दैनिक वेतन पर भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/1/91–का-2 दिनांक 17 जुलाई, 1991 द्वारा दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति संविदा, नियत वेतन, नियमित या नियत वेतन पर तदर्थ नियुक्तियों आदि को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में दैनिक वेतन कार्मिकों के इंगेजमेन्ट को अगले आदेशों तक फ्रीज कर दिया जाये।

3. उक्त आदेश सार्वजनिक उद्यम तथा समस्त अर्द्ध सरकारी संस्थाओं पर समान रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उपरोक्त आदेशों का तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

89

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या-जी-2-354/दस-94-301/85

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 1994

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-2-1233/दस-303/78, दिनांक 15 अक्तूबर, 1990 में सीजनल पूर्णकालिक निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (पंखा मजदूर आदि) की कुल मासिक परिलब्धियां जिलों के मुख्यालय एवं अन्य स्थानों के भेदभाव को समाप्त करते हुए सभी स्थानों पर 750 रु० प्रतिमाह निर्धारित की गयी थी।

2. कुछ समय से इन कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि का प्रश्न शासन के विचाराधीन था। अतएव मामले पर भली-भांति विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय उक्त कर्मचारियों की कुल परिलब्धियां 750 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 1050 रु० प्रतिमाह निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त बढ़ी हुई परिलब्धियां दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से प्रभावी होंगी।

अनूप मिश्र,
विशेष सचिव।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

90

संख्या-2/5/91-टी०सी०-का-2-94

प्रेषक,

आर० बी० भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव या सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष या प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त या जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 18 अप्रैल, 1994

कार्मिक अनुभाग–2

विषय :– भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबन्ध विषयक।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में शासन के टेलेक्स या रेडियोग्राम संख्या 20/1/91-का-2-91 दिनांक 29 जून, 1991, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1991 एवं 26 सितम्बर, 1991 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में नियमित नियुक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों में यह भ्रम फैला हुआ है कि नियमित नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियमावलियों के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति या पदोन्नति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

2. वर्तमान में तदर्थ नियुक्ति, दैनिक वेतन, संविदा, नियत वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध है जिसका उल्लेख शासनादेश संख्या 20/1/91-का०-2-91, दिनांक 17 जुलाई, 1991 में किया गया है।

3. उपरोक्त के प्रकाश में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं :—

(1) समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति या पदोन्नति की कार्यवाही यदि किसी भ्रमवश रुकी हो तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।

(2) नियमित नियुक्तियां या पदोन्नतियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी प्रख्यापित अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के समस्त सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत जहां तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण करना अभिप्रेत हो, वहां भी आरक्षण की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. उपरोक्त आदेशों का तदनुसार कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आर० बी० भाष्कर,
सचिव।

91

संख्या–2/5/91–टी०सी०–का–2/94

प्रेषक,

आर० बी० भाष्कर,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव या सचिव, उ० प्र० शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 7 मई, 1994**

विषय :– दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश सं०.–2/5/91-का०-2/92 दिनांक 2 सितम्बर, 1992 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति, संविदा, नियत वेतन, नियमित या नियत वेतन पर तदर्थ नियुक्तियों या दैनिक वेतन कार्मिकों के इंगेजमेन्ट को स्थगित रखा जाय तथा फ्रीज कर दिया जाय। यह आदेश सार्वजनिक उद्यम तथा समस्त अर्द्धसरकारी संस्थाओं पर भी लागू किये गये थे तथा इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किये गये थे किन्तु शासन के समक्ष यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अतः शासन ने तात्कालिक प्रभाव से यह निर्णय लिया है कि दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों की नई नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाय तथा किसी भी दशा में ऐसे कार्मिकों की नई नियुक्तियां न की जायं।

3. मैं अनुग्रहीत हूंगा यदि आप शासन द्वारा लिये गये इस निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित कर दें।

भवदीय,
आर० बी० भाष्कर,
सचिव।

92

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या–जी–2–578/दस–97–301/85

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 1997

कार्यालय-ज्ञाप

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 20/1/91-का-2/91, दिनांक 17 जुलाई, 1991 के द्वारा स्पष्ट आदेश निर्गत किये गये हैं। इसकी ओर

ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-जी-2-353/दस-94-301/85, दिनांक 30 मार्च, 1994 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों को (वर्तमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य में) समूह "घ" कर्मचारियों के लिए रु० 35.00 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु० 42.50 पैसे प्रतिदिन तथा समूह "ग" कर्मचारियों के लिये रु० 40.00 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु० 47.50 पैसे प्रतिदिन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त बढ़ी हुई दरें इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी। कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1991 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

पी० उमाशंकर,
सचिव।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उ० प्र०।

93

संख्या-15/18/86-का-1-97

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव या सचिव या विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 6 नवम्बर, 1997**

विषय :- तदर्थ नियुक्तियों या पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक।

महोदय,

सेवाओं में स्थिरता एवं स्थायित्व लाने के उद्देश्य से सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों को हतोत्साहित करना शासन की नीति है। इसी उद्देश्य से शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि प्रत्येक सेवा के सभी पदों पर संगत सेवा नियमों के अन्तर्गत समय से नियमित चयन सम्पन्न किया जाय ताकि तदर्थ नियुक्तियों की आवश्यकता उत्पन्न न हो। तदर्थवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्थायें लागू हैं :—

(1) शासनादेश संख्या 13/33/90 का-1-90, दिनांक 29 अक्टूबर, 1990 द्वारा तदर्थ पदोन्नतियां पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं।

(2) शासनादेश संख्या 13/9/90 (1)-का-1-90, दिनांक 8 जून, 1990 सपठित समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 1986 के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियां नितान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्मिक विभाग की सहमति से मंत्रिपरिषद् के आदेश प्राप्त कर अधिकतम आने वाले फरवरी मास की अन्तिम तिथि तक के लिए एक नियत वेतन पर अनुबन्ध के आधार पर की जा सकती हैं। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 8 जून, 1990 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी नियुक्ति यदि नियुक्ति के बाद पड़ने वाले फरवरी मास की अन्तिम तिथि को, यदि उसके पूर्व समाप्त न की गयी हो, स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

2. शासन की उपरोक्त स्पष्ट नीति एवं समुचित दिशा-निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा समय-समय पर तदर्थ नियुक्तियों या पदोन्नतियों की आवश्यकता बताई जाती रही है। यह भी अनुभव किया गया है कि जब तक तदर्थ नियुक्तियों या पदोन्नतियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं लगा दिया जाता तब तक नियमित चयन के सार्थक प्रयास विभागों द्वारा नहीं किये जायेंगे और किन्हीं न किन्हीं कारणों से तदर्थ नियुक्तियों या पदोन्नतियों की अपरिहार्यता दिखलाते हुए ऐसे प्रस्ताव किये जाते रहेंगे।

3. तदर्थ नियुक्तियां चाहे सीधी भर्ती के माध्यम से की जायं अथवा पदोन्नति के माध्यम से, किन्तु ऐसी नियुक्तियों से जहां एक ओर तदर्थवाद को बढ़ावा मिलता है तथा सेवाओं में अस्थिरता आती है वहीं दूसरी ओर अन्यान्य सेवा सम्बन्धी जटिलतायें उत्पन्न होती हैं। ऐसी तदर्थ नियुक्तियों के कारण आरक्षण सम्बन्धी प्रख्यापित अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सेवाओं में अनुमन्य आरक्षण प्रतिशत को सुनिश्चित करने में भी कठिनाई होती है। उपरोक्त के अतिरिक्त तदर्थ रूप से नियुक्त या प्रोन्नत व्यक्तियों के विनियमितीकरण की भी समय-समय पर मांग की जाती है। तदर्थ नियुक्तियों के कारण सम्बन्धित संवर्ग में उत्पन्न ज्येष्ठता सम्बन्धी विवादों का दुष्परिणाम यह होता है कि उच्चतर पदों पर समय से पदोन्नतियां सम्भव नहीं हो पातीं और शासकीय कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

4. अतः सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये भलीभांति विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों पर पूर्णतः रोक लगा दी जाय।

5. कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

सुधीर कुमार,

सचिव।

94

संख्या-20/1/91/का-2/1997

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 9 जुलाई, 1998

विषय :– सभी प्रकार की नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध।

Subject :– Ban on all kinds of new appointments.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1997 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें उल्लिखित स्थितियों को छोड़कर अग्रिम आदेशों तक किसी भी विभाग में कोई नई नियुक्ति न किये जाने तथा नियुक्ति किये जाने के संबंध में जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई हो उसे भी स्थगित रखने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 दिनांक 9 जून, 1998 को प्रख्यापित कर दी गयी है जिसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या 20/1/91 टी० सी०–97/का-2/98, दिनांक 11 जून, 1998 तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 19 जून, 1998 द्वारा समस्त विभागों को दिनांक 7 जुलाई, 1998 से 31 जुलाई, 1998 के मध्य समूह, "ग" के रिक्त पदों को विज्ञापित कराये जाने के निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी विभाग यथास्थिति अपने यहां 29 जून, 1991 से पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन एवं कार्य प्रभारित के रूप में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के बराबर संख्या घटाकर अवशेष रिक्तियों के लिए ही विज्ञापन जारी करेंगे।

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तर-1 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1997 में समूह "ग" के पदों पर नई नियुक्ति पर लगाये गये प्रतिबन्ध को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

4. उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार चयन या नियुक्ति की कार्यवाही कृपया सुनिश्चित की जाय।

5. उपरोक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1997 को संशोधित माना जाय।

6. समूह "घ" के पदों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1997 यथावत् प्रभावी रहेगा।

7. अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव।

95

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या–जी–2–1012/दस–2001–301/85

लखनऊ, दिनांक 8 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2/91, दिनांक 17 जुलाई, 1991 द्वारा स्पष्ट आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-2-578/दस-97-301/85, दिनांक 19 जुलाई 1997 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों को (वर्तमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य में) समूह "घ" कर्मचारियों के लिए रु० 42.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु० 57.00

प्रतिदिन तथा समूह "ग" कर्मचारियों के लिए रु० 47.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रु० 64.00 प्रतिदिन क की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त बढ़ी हुयी दरें इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित दरें उ कर्मियों पर लागू होंगी जिनकी नियुक्ति दिनांक 17-7-91 से पूर्व की गयी हो।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव, उ० प्र० शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

निर्णय संदर्भ

(Case Laws)

1. *Ad hoc* appointment

(i) What is

[1] The term *ad hoc* is capable of being understood in two ways. There uncertainty as to the continuity of the appointment and also it is a stop gap arrangeme without considering all the persons who are eligible for appointment. The term *ad ho* employee is used for a wholly temporary employee engaged either for a particul period or for a particular purpose and whose services can be terminated. *[Anil Kum Kaushik vs. New Okhla Industrial Development Authority, 1997 AWC (Supp) 550 S.K.Varma vs. State of Punjab, AIR 1979 P&H 149 (FB)].*

(ii) Right of ad hoc appointee

[2] An *ad hoc* employee should not be terminated and replaced by another *ad ho* employee. *[Bhupendra Shankar Singh vs. State of U.P., 1998 (2) LCD 749.]*

[3] *Ad hoc* employee has a right to continue till a regularly appointed candidate i available. *[Arvind Sahai vs. State of U.P., 1998 (2) LCD 1132 ; Dr. Mrs. Sumati F Shere vs. Union of India, 1989 LCD 417 (SC)].*

[4] The appointment letter itself states that the petitioner will continue in servic till 30th June, 2002 or till the regularly selected candidate, selected by the Commissio joins the post, whichever is earlier. Hence according to the appointment letter itself, h cannot continue in service beyond 30.6.2002. *[Dr. Sanjeev Kumar Yadav vs. State o U.P., 2002 (3) AWC 2152].*

[5] The appointment limited by time does not confer any enforceable legal righ *[Director, Institute of Management and Development vs. Pushpa Srivastava, AIR 199. SC 2070 ; Prabhakar Misra vs. Banaras Hindu University, 1999 (2) AWC 931].*

[6] The petitioner's appointment was purely temporary and on a tenure post and hence, she has no right to continue after one year vide *Dharmendra Kumar Tiwari vs State of U.P., 2002 (3) AWC 2132 : 2002 (2) ESC 380.*

In our opinion, there is no such legal rule that a temporary or *ad hoc* appointee i entitled to continue till a regular selection, rather the law is just the contrary, namely